


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या1886 / 2015.....जिला.....जयपुर.....

उनवान - मैसर्स हरितसन्स डिजाइन्स प्रा०लि०, जयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, विशेष वृत एन, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30 / 11 / 2015	<p><u>कैम्प जयपुर</u> <u>एकलपीठ</u> <u>श्री मदन लाल, सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री डी.कुमार एवं विभाग की ओर से उप-राजकीय अधिवक्ता श्री रामकरण सिंह उपस्थित।</p> <p>यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, द्वितीय जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.08.2015 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित मांग राशि रू० 1,61,367/- की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने को चुनौती दी गयी है।</p> <p>उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।</p> <p>विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने के संबंध में कोई कारण अंकित नहीं किया है। अतः मांग राशि के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि 1,61,367/- की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी।</p> <p>विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।</p> <p>उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया अपीलीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मांग स्थगन राशि रूपये 1,61,367/- को स्थगित नहीं किये जाने बाबत कोई युक्तियुक्त कारण नहीं बतलाया है। प्रकरण में प्रशमन शुल्क व्यवहारी द्वारा जमा करवाया गया है परन्तु विलम्ब से जमा कराने पर समस्त प्रशमन योजनान्तर्गत पण्यार्वत पर करारोपण का तथ्य विवादित है। अतः प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में</p>	

उनवान - मैसर्स हरितसन्स डिजाइन्स प्रा0लि0, जयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, विशेष वृत एन, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/11/2015	<p style="text-align: center;">- 2 -</p> <p>प्रतीत होने से अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध कायम विवादित मांग रूपये 1,61,367/- की वसूली कार्यवाही पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप जमानत 15 दिवस में प्रस्तुत करने की शर्त पर रोक लगाई जाती है। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।</p> <p>7. अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।</p> <p>8. आदेश प्रसारित किया गया।</p> <p style="text-align: right;">  30.11.2015 (मदन लाल) सदस्य </p>	